मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 1 अप्रैल 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	2
III.	सरकार का बैंक	4
IV.	पर्यवेक्षण	4
V.	आरबीआई बुलेटिन	4
VI.	मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट	4
VII.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 अप्रैल 2022 की अपनी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर, जो अब एलएएफ कॉरिडोर का आधार होगी, 3.75 प्रतिशत होगी।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे। ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

I. चलनिधि उपाय

क) स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत:

वर्ष 2018 में, आरबीआई अधिनियम की संशोधित धारा 17 ने रिज़र्व बैंक को एक अतिरिक्त उपकरण-स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), बिना किसी संपार्श्विक के चलनिधि को अवशोषित करने के लिए शुरू करने का अधिकार दिया। यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएफ़ को 3.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाए। एसडीएफ, एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो (एफआरआरआर) का स्थान लेगा। दोनों स्थायी सुविधाएं अर्थात एमएसएफ और एसडीएफ पूरे वर्ष, सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेंगी।

एफ़आरआरआर दर 3.35 प्रतिशत पर बरकरार है। यह आरबीआई के टूलकिट के हिस्से के रूप में रहेगा और इसका परिचालन समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आरबीआई के विवेक पर होगा। एसडीएफ के साथ एफआरआरआर, आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन ढांचे को लचीलापन प्रदान करेगा।

ख) संतुलित एलएएफ कॉरिडोर की बहाली:

वर्ष 2020 में महामारी के दौरान, एलएएफ कॉरिडोर के आयाम को नीतिगत रेपो दर की तुलना में रिवर्स रेपो दर में असंतुलित समायोजन द्वारा 90 आधार अंक (बीपीएस) तक बढ़ा दिया गया था। फरवरी 2020 के महामारी पूर्व चलनिधि प्रबंधन ढांचे को पूरी तरह से बहाल करने और वित्तीय बाजारों के धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में वापसी को देखते हुए, अब एलएएफ कॉरिडोर के आयाम को उसके महामारी पूर्व स्तर पर बहाल करने का निर्णय लिया गया है। 3.75 प्रतिशत पर एसडीएफ की शुरूआत से, नीतिगत रेपो दर 4.00 प्रतिशत और एमएसएफ दर 4.25 प्रतिशत होने के साथ एलएएफ कॉरिडोर का आयाम महामारी पूर्व विन्यास के 50 आधार अंक पर बहाल हो गया है। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर तत्काल प्रभाव से अधिकतम सीमा के रूप में एमएसएफ दर और न्यूनतम सीमा के रूप में एसडीएफ दर के साथ नीतिगत रेपो दर के आसपास संतुलित होगा।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

क) व्यक्तिगत आवास ऋण - जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाना

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋणों के जोखिम भार को केवल मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात के साथ सहलग्न करके युक्तिसंगत बनाया था। यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र में निर्धारित जोखिम भार, 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जारी रहेगा।

ख) एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारित राशि

यह निर्णय लिया गया है कि 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के दौरान अर्जित की गई परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियों को निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 19.5 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक शामिल करने की सीमा को बढ़ाया जाए। बैंकों को भी 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई सीमा के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति दी गई। एचटीएम की सीमा 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से 23 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी।

ग) जलवायु जोखिम और वहनीय वित्तपोषण पर चर्चा पत्र

विनियमित संस्थाओं (आरई) को अपनी व्यावसायिक कार्यनीति और परिचालन में जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए और इन जोखिमों से प्रभावी

ढंग से निपटने के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया, उपयुक्त सुशासन व्यवस्था और रणनीतिक ढांचे को विकसित करने और लागू करने की आवश्यकता है। जलवायु जोखिम और सतत वित्तपोषण में कुछ विनियामक पहलों से आरई को जलवायु जोखिम को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलेगी। जलवायु जोखिम और सतत वित्तपोषण पर एक चर्चा पत्र शीघ्र ही हितधारकों की टिप्पणियों के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

घ) आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति

रिज़र्व बैंक ने अपनी आरई के ग्राहकों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर कई उपाय किए हैं। तदनुसार, आरई में ग्राहक सेवा की स्थिति और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता की जांच और समीक्षा करने और इसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

क) एटीएम में इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद आहरण

सभी बैंकों और सभी एटीएम नेटवर्क/ऑपरेटरों में कार्ड-रहित नकद आहरण सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए, यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग के माध्यम से एटीएम नेटवर्क से लेन-देन हेतु ग्राहक प्राधिकरण को सक्षम करने का प्रस्ताव है। नकद आहरण लेनदेन करने के लिए कार्ड की आवश्यकता न होने पर स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग, डिवाइस से छेड़छाड़ आदि जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

ख) भारत बिल भुगतान प्रणाली - परिचालन इकाइयों के लिए निवल मालियत की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाना

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है जो आवर्ती बिल जुटाने वाले सभी श्रेणियों के बिलर्स को प्रदान किया गया है। बीबीपीएस में लेनदेन की मात्रा के साथ-साथ ऑनबोर्ड बिलर्स की संख्या में वृद्धि हुई है परंतु गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) की संख्या में ऐसी वृद्धि नहीं हुई है। प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक गैर-बैंक बीबीपीओयू के लिए निवल मालियत की वर्तमान आवश्यकता ₹100 करोड़ है और इसे व्यापक सहभागिता के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता है। अतः, गैर-बैंक बीबीपीओयू की निवल मालियत आवश्यकता को अन्य गैर-बैंक प्रतिभागियों के साथ संरेखित करने का प्रस्ताव है जो ग्राहक निधि को संभालते हैं और समान जोखिम प्रोफ़ाइल रखते हैं। तदनुसार, गैर-बैंक बीबीपीओयू के लिए निवल संपत्ति आवश्यकता को घटाकर ₹25 करोड़ किया जा रहा है। जल्द ही नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

ग) भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

रिज़र्व बैंक ने बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफ़सी द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए आवश्यक सुरक्षा नियंत्रण निर्धारित किए हैं। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए समान निदेश जारी करने तथा सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है। शीघ्र ही निदेश जारी किए जाएंगे। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 34वीं बैठक 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

परिपत्रों और मास्टर निदेशों

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2022 माह में निम्नलिखित परिपत्र और मास्टर निदेश जारी किए:

क्र सं.	विवरण	जारी करने की तारीख
1)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश और ऋण चूक स्वैप की बिक्री की सीमाएं	19 अप्रैल 2022
2)	बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने पर समेकित परिपत्र	19 अप्रैल 2022
3)	मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण संबंधी निदेश, 2022	21 अप्रैल 2022

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने और व्यापक बनाने के प्रयासों के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की अवधारणा शुरू की जा रही है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 7 अप्रैल 2022 को, रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी समूह, जिसमें बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के प्रतिनिधि शामिल थे, की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डीबीयू की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वैयक्तिक आवास ऋण-जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना

रिज़र्व बैंक ने 16 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को, चाहे राशि जो भी हो, तर्कसंगत बनाया था।

रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2022 को, 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत सभी नए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए जोखिम भार, चाहे राशि जो भी हो, जारी रखने का निर्णय लिया। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्थायी जमा सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2022 को तत्काल प्रभाव से स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) आरंभ करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एसडीएफ के तहत आरबीआई के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमा राशि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) परिसंपत्ति के पात्र होगी और ऐसी शेष राशि एसएलआर रखरखाव के लिए "नकद" का हिस्सा होगी। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिता

वर्तमान में, बैंकों को 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच और 31 मार्च 2023 तक अर्जित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पात्र प्रतिभूतियों के लिए एनडीटीएल की 22 प्रतिशत की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा में वृद्धि की अनुमति दी गई है।

रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2022 को मौजूदा एचटीएम सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर एनडीटीएल का 23 प्रतिशत करने का निर्णय लिया और बैंकों को 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित प्रतिभूतियों को 23 प्रतिशत की वर्धित सीमा के तहत शामिल करने की अनुमति दी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

चलनिधि कवरेज अनुपात

रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2022 को निर्णय लिया कि बैंकों को उनके एनडीटीएल के 16 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर एफएएलएलसीआर के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में गणना करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, अनिवार्य एसएलआर से निकाला गया कुल एचक्यूएलए, जिसे एलसीआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए गिना जा सकता है, एनडीटीएल का 18 प्रतिशत (2 प्रतिशत एमएसएफ और 16 प्रतिशत एफएएलएलसीआर) होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण

रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2022 को स्केल आधारित विनियमन ढांचे के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं को रेखांकित किया। ये प्रकटीकरण अन्य कानूनों, विनियमों या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं और उसके प्रतिस्थापन में नहीं हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध

रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्तरों के एनबीएफसी के संबंध में उधार देने पर विनियामकीय प्रतिबंधों के संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 1 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर)

दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैराग्राफ 3.2.1 (बी) के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल), जोखिम-भारित आस्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी बनाए रखेगा। रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2022 को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बृहत् एक्सपोजर फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2022 को 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा' पर दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/ 03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.2 (डी) के संदर्भ में एनबीएफसी-यूएल के लिए एक बृहत् एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन

रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2022 को अन्य बातों के साथ-साथ, संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 12 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए पूंजीगत निधियों के निर्गम और विनियमन संबंधी मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उधारकर्ताओं के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता

रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2022 को निर्णय लिया कि विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) से संबंधित दिशानिर्देश प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी पर लागू होंगे। यह सूचित किया जाता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) से ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर प्राप्त करने वाले गैर-वैयक्तिक उधारकर्ताओं को निर्धारित समय के अनुसार एलईआई कोड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि जो उधारकर्ता किसी अधिकृत स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू) से एलईआई कोड प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उन्हें कोई नया एक्सपोजर मंजूर नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें किसी मौजूदा एक्सपोजर का नवीनीकरण/संवर्धन प्रदान किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मानद पदनामों का निर्माण

पर्यवेक्षी समीक्षाओं के दौरान, यह देखा गया कि कुछ शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने मानद पदनाम (पारिश्रमिक या अन्यथा) बनाने / बोर्ड स्तर पर उपाधि प्रदान करने की प्रथा को अपनाया, जैसे कि अध्यक्ष एमेरिटस, समूह अध्यक्ष, आदि, जिसे लागू विधियों या विनियमों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2022 को शहरी सहकारी बैंकों को निदेश दिया कि वे बोर्ड स्तर पर कोई मानद पद/उपाधि सृजित न करें या न ही ऐसी उपाधियां प्रदान करें जो गैर-सांविधिक प्रकृति की हों और इस परिपत्र तिथि से एक वर्ष के भीतर ऐसी किसी भी मौजूदा पद/उपाधि को समाप्त कर दें। विस्तार पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया था कि सीसीवाईबी को उन परिस्थितियों में सक्रिय किया जाएगा, जब इसकी आवश्यकता होगी तथापि, रिज़र्व बैंक ने 5 अप्रैल 2022 को निर्णय लिया कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2022 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 'आधार स्तर' और सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी के तहत वर्गीकृत किए गए एनबीएफ़सी को छोड़कर सभी एनबीएफसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों की क्षतिपूर्ति नीति को स्केल आधारित नियामक ढांचे के तहत तय करने के लिए लागू होते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. सरकार का बैंक

बाजार कारोबार का समय

परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और कोविड-19 द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों के ऊंचे स्तर के मद्देनज़र 7 अप्रैल 2020 से रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए कारोबार समय को संशोधित किया गया था। इसके बाद, 9 नवंबर 2020 से कारोबार समय को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया था। लोगों की आवाजाही और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में पर्याप्त ढील के साथ, रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2022 को यह निर्णय लिया कि 18 अप्रैल 2022 से विनियमित वित्तीय बाजारों के खुलने के समय को उनके महामारी पूर्व समय अर्थात् पूर्वाह्न 9:00 बजे बहाल किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. पर्यवेक्षण

अनुपालन कार्य

रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2022 को आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और मध्यम स्तर (एनबीएफसी-एमएल) के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं को शामिल करने का निर्णय लिया। एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अनुपालन कार्य तैयार करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. आरबीआई बुलेटिन

आरबीआई बुलेटिन– अप्रैल 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2022 अंक जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अप्रैल 2022, मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2022, दो भाषण, छह आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। छह आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत पर आपूर्ति श्रृंखला के दबाव का अनुमान लगाना; III. बैंकों की ब्याज दरों में मौद्रिक संचरण: बाह्य बेंचमार्क व्यवस्था के प्रभाव; IV. वायदा प्रीमियम को कौन सा तत्व संचालित करता है? - एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण; V. उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी मुद्रा भंडार बफर: संचालक, उद्देश्य और प्रभाव; और VI. शहरी सहकारी बैंकों में डिजिटलीकरण: प्रसार और विभेदीकरण। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) जारी किया। रिपोर्ट का विषय "रिवाइव एंड रिकन्सट्रक्ट" है, जो कि कोविड के पश्चात टिकाऊ बहाली को पोषित करने और मध्यम अवधि में प्रवृत्ति संवृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। यह रिपोर्ट योगदानकर्ताओं के विचारों को परिलक्षित करती है न कि रिज़र्व बैंक के विचारों को।

मुख्य बातें:

i) रिपोर्ट में प्रस्तावित सुधारों का ब्लूप्रिंट आर्थिक प्रगति के सात पहियों अर्थात् समग्र मांग; समग्र आपूर्ति; संस्थानों, मध्यस्थों और बाजारों; समष्टि आर्थिक स्थिरता और नीति समन्वय; उत्पादकता और तकनीकी प्रगति; संरचनात्मक परिवर्तन; और धारणीयता के इर्द-गिर्द घूमता है।

ii) भारत में मध्यावधि स्थिर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए एक व्यवहार्य सीमा 6.5- 8.5 प्रतिशत हो सकती है, जोकि सुधारों के ब्लूप्रिंट के अनुरूप है।

iii) मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का समय पर पुनर्संतुलन इस सफर का पहला कदम होगा।

iv) मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है।

v) भारत की मध्यम अवधि की संवृद्धि संभावनाओं को सुरक्षित करने के लिए अगले पांच वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 66 प्रतिशत से कम करना महत्वपूर्ण है।

vi) सुझाए गए संरचनात्मक सुधारों में मुकदमेबाजी मुक्त कम लागत वाली भूमि तक पहुंच बढ़ाना; शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय और स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाना; नवाचार और प्रौद्योगिकी पर जोर देकर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ाना; स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना; अक्षमताओं को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना; और आवास और भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार करके शहरी समुदायों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

vii) औद्योगिक क्रांति 4.0 और एक निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध परिवर्तन के लिए एक नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जो कारोबार करने के लिए जोखिम पूंजी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल के लिए पर्याप्त पहुंच के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है।

viii) भारत के चल रहे और भविष्य के मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वार्ता, निर्यात और घरेलू विनिर्माण की संभावनाओं में सुधार के लिए भागीदार देशों से उच्च गुणवत्ता वाले आयात हेतु प्रौद्योगिकी अंतरण और बेहतर व्यापार शर्तों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

VII. जारी आंकड़े

अप्रैल 2022 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

	शीर्षक
1.	फरवरी 2022 माह का भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार
2.	फरवरी 2022 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/ आरडीबी
3.	पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम
4.	मार्च 2022 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दर: अप्रैल 2022
6.	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन: मार्च 2022

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।